पत्रावली दिनांक 24-5-18 को प्रस्तुत।

24/5/18

आज R.O.H.P. के कोर्ट में प्रस्तुत होने व जनरल ... की गई नत आपत्ति की प्रकाशन ... दिनांक को पेश हो 3 शर्तों पर।

3/5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 273, 274 एवं 275/372 में नाले एवं सड़क में निकल जाने बताया है तथा अपनी भूमि का नीकशान भरने हेतु इस न्यायालय में वाद पेश किया गया है तथा प्रतिवादीगण से सड़क ने छोड़ने से प्रतिबन्धित करना चाहता है जो समीचीन नहीं है। वादी अपनी भूमि का नीकशान भरने हेतु नियमानुसार सक्षम दीवानी में आवेदन करे तथा

सहायक कलक्टर
दौसा

नम्बर अहकाम हुक्म में	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपनी भूमि का सीमाकरण कराने। अपनी भूमि का सीमाकरण कराने के लिए वादी स्वतंत्र है। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समस्त प्रतिवादीगण की भूमि की जमाबन्दी तथा नक्शा किश्त तथा प्रतिवादी गणकी भूमि का ज्वाईन्ट नक्शा पेश नहीं किया है, जिसके कराने के बाद निर्णय नहीं होगा है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जा रही है।

प्रकरण की समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा मेरी तथा बाद तकमील प्रविष्ठ की गई है। निर्णय सुनाया के पश्चात कोई कॉपी के मुताबिक आम के लिए बाद सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा